

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रु. 10000.00 लाख में से रु 9987.60 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/शा०/78/2021-5/17/2021 दिनांक 17.06.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या 14 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित धनराशि रु. 10000.00 लाख में से रु 9987.60 लाख (रु. निन्यानबे करोड़ सत्तासी लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (2) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020 एवं पत्र संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की संभावित व्यय से अधिक धनराशि उपलब्ध न रहे।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० का होगा।
- (6) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।
- (7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर/सेस/चार्ज लिया जायेगा तथा संबंधित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा तथा प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (8) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस०ओ०आर० पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (9) निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
- (10) निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में परियोजना की लागत का पुनः पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित सहमति के क्रम में आंकलित लागत पर ही कार्य गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराया जायेगा।
- (11) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- (12) इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों /शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- (14) जनपद स्तर पर अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों का अनुपालन निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 4 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त करने का फाण्ट
अनुदान संख्या-14 (लाख रु. में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	निर्मित किये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या	रूपया 24.36 लाख प्रति इकाई की दर से कुल प्रस्तावित धनराशि	कार्यालय व्यय/कंटेजिन्सी हेतु प्राविधानित कुल धनराशि का 02 प्रतिशत							अन्त्येष्टि स्थल की धनराशि तथा ग्राम पंचायत स्तर की कंटेजिन्सी की धनराशि (कालम संख्या-12) को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित धनराशि
					निदेशालय स्तर (0.25 प्रतिशत)	मण्डल स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	जिला स्तर (0.25 प्रतिशत)	ब्लाक स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	कालम संख्या का योग (7+8+9)	कालम संख्या का योग (6+10)	ग्राम पंचायत स्तर पर (01 प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रयागराज	23	9	219.2400	0.5481	0.5481	0.5481	0.5481	1.6443	2.1924	2.1924	217.0476
2	आजमगढ़	22	9	219.2400	0.5481	0.5481	0.5481	0.5481	1.6443	2.1924	2.1924	217.0476
3	जौनपुर	21	10	243.6000	0.609	0.609	0.609	0.609	1.827	2.436	2.436	241.1640
4	सीतापुर	19	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
5	गोरखपुर	20	10	243.6000	0.609	0.609	0.609	0.609	1.827	2.436	2.436	241.1640
6	हरदोई	19	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
7	खीरी	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
8	कुशीनगर	14	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
9	गाजीपुर	16	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
10	गोण्डा	16	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
11	बहराइच	14	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
12	प्रतापगढ़	17	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
13	बरेली	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
14	बलिया	17	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
15	बाराबंकी	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
16	बिजनौर	11	10	243.6000	0.609	0.609	0.609	0.609	1.827	2.436	2.436	241.1640
17	देवरिया	16	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
18	बुलन्दशहर	16	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
19	उन्नाव	16	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
20	रायबरेली	18	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
21	अलीगढ़	12	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
22	आगरा	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
23	बदायूँ	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
24	महाराजगंज	12	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
25	सहारनपुर	11	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
26	सिद्धार्थनगर	14	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
27	शाहजहाँपुर	15	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
28	वाराणसी	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
29	फतेहपुर	13	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
30	बस्ती	14	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
31	सुलतानपुर	14	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
32	मिर्जापुर	12	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
33	मुजफ्फरनगर	9	10	243.6000	0.609	0.609	0.609	0.609	1.827	2.436	2.436	241.1640
34	अयोध्या	11	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

35	अम्बेडकरनगर	9	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
36	मुरादाबाद	8	10	243.6000	0.609	0.609	0.609	0.609	1.827	2.436	2.436	241.1640
37	बलरामपुर	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
38	मथुरा	10	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
39	अमैठी	13	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
40	रामपुर	6	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
41	चन्दौली	9	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
42	मऊ	9	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
43	सम्भल	8	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
44	पीलीभीत	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
45	मेरठ	12	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
46	फिरोजाबाद	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
47	सोनभद्र	10	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
48	कानपुर देहात	10	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
49	संतकबीरनगर	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
50	मैनपुरी	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
51	कानपुर नगर	10	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
52	लखनऊ	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
53	बांदा	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
54	एटा	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
55	कौशाम्बी	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
56	फर्रुखाबाद	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
57	अमरोहा	6	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
58	कन्नौज	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
59	सं0र0नगर	6	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
60	जालौन	9	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
61	हाथरस	7	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
62	इटवा	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
63	झांसी	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
64	औरैया	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
65	कासगंज	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
66	श्रावस्ती	5	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
67	ललितपुर	6	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
68	बागपत	6	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
69	हापुड	4	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
70	शामली	5	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.218	1.218	120.5820
71	चित्रकूट	5	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
72	गौतमबुद्धनगर	3	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
73	हमीरपुर	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
74	गाजियाबाद	4	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
75	महोबा	4	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
	योग-	826	410	9987.6000	24.969	24.969	24.969	24.969	74.907	99.876	99.876	9887.7240

नोट- जनपद-हाथरस को आवंटित 05 अंत्येष्टि स्थल में से 01 अंत्येष्टि स्थल का निर्माण विकास खण्ड-हाथरस की ग्राम पंचायत-राजपुर में कराया जायेगा।

रु. 9987.6000 लाख (निन्यानवे करोड़ सत्तासी लाख साठ हजार रुपये मात्र)

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।